भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 3588**

11.08.2025 को उत्तर के लिए

**जलपाईगुड़ी में वनरोपण परियोजनाएँ**

**3588. डॉ. जयंत कुमार रायः**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार जलपाईगुड़ी के क्षीण वन क्षेत्रों में कोई वनरोपण या पारिस्थितिकी प्रत्यास्थापन परियोजना शुरू करने की योजना बना रही है; और

(ख) क्या सरकार जलपाईगुड़ी के संरक्षित क्षेत्रों में बढ़ते पर्यटन के पारिस्थितिक प्रभाव की निगरानी कर रही है और यदि हाँ, तो इसके क्या निष्कर्ष हैं?

**उत्तर**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री :**
**(श्री कीर्तवर्धन सिंह)**

(क) यह मंत्रालय राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (जीआईएम), नगर वन योजना (एनवीवाई) और तटरेखा पर्यावास एवं मूर्त लाभ के लिए मैंग्रोव पहल (मिष्टी) जैसी सतत योजनाओं के माध्यम से वनीकरण और पुनर्वनरोपण कार्य कर रहा है। प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (काम्पा) के माध्यम से भी वनीकरण कार्यकलाप कार्यान्वित किए जा रहे हैं। मंत्रालय अतंरराष्ट्रीय वन दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, वन महोत्सव, वन्यजीव सप्ताह आदि जैसे अवसरों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियानों को बढ़ावा देता है तथा अभियानों के माध्यम से जागरूक बनाता है। दिनांक 5 जून 2024 को शुरू किया गया 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान नागरिकों को अपनी माँ के सम्मान में पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करता है। पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, वर्तमान वित्त वर्ष 2025-26 में जलपाईगुड़ी जिले में 74.19 हेक्टेयर बंजर वन भूमि पर वनीकरण कार्य किया गया है।

(ख) पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, जलपाईगुड़ी जिले के संरक्षित क्षेत्रों में बढ़ते पर्यटन के पारिस्थितिक प्रभाव की राज्य द्वारा सक्रिय रूप से निगरानी की जा रही है। जिले में तीन निर्दिष्ट संरक्षित क्षेत्र हैं: गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, चपरामारी वन्यजीव अभयारण्य, तथा महानंदा वन्यजीव अभयारण्य का एक हिस्सा जो इसकी सीमाओं के भीतर आता है। इन क्षेत्रों में पर्यटन को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी), भारत सरकार और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) के दिशानिर्देशों द्वारा निर्धारित वहन क्षमता के अनुसार विनियमित किया जाता है। पारिस्थितिक

दबाव को कम करने के लिए, कार सफारी और अन्य पारिस्थितिक पर्यटन उद्यमों जैसे पर्यटन कार्यकलापों को प्रतिवर्ष 15 जून से 15 सितम्बर तक स्थगित कर दिया जाता है, ताकि मानसून ऋतु के अनुरूप परिस्थितिक सुधार किया जा सके। इसके अलावा, सभी संरक्षित क्षेत्र सप्ताह में एक दिन बंद कर दिए जाते हैं ताकि माननीय हस्तेक्षप को न्यूनतम किया जा सके। विशेषकर व्यस्ततम अवधि के दौरान गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटकों की सर्वाधिक भीड़ होती है; तथापि, पर्यटकों की संख्या अनुमत वहन क्षमता के भीतर ही रहती है। इसके विपरीत, चपरामारी वन्यजीव अभयारण्य और जिले के भीतर स्थित महानंदा वन्यजीव अभयारण्य के हिस्से में पर्यटकों की संख्या काफी कम है, जिसके परिणामस्वरूप पारिस्थितिक प्रभाव न्यूनतम है। सुरक्षा को और अधिक सुनिश्चित करने के लिए, राजपत्र अधिसूचनाओं के माध्यम से सभी तीनों संरक्षित क्षेत्रों के लिए औपचारिक रूप से पारिस्थितिक-संवेदनशील क्षेत्र (ईएसजेड) अधिसूचित किए गए हैं। इन ईएसजेड के भीतर किए जाने वाले पारिस्थितिक-पर्यटन संबंधी कार्यकलापों की तत्संबंधित दिशा-निर्देशों के माध्यम से सख्त निगरानी की जाती है और निर्दिष्ट निगरानी समिति द्वारा इनका निरीक्षण किया जाता है।

*****